www.ecourtsindia.com



UPAG010135732023

**न्यायालय अपर जिला जज, न्यायालय सं0–1, आगरा।**
**उपस्थित : रवि कान्त.III, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP6062**

**सिविल वाद संख्या–401/2023**

श्रीमती शशी यादव बनाम श्रीमती शकुन्तला यादव आदि

**दिनांक 05.03.2024**

पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 8ग नियत है। पूर्व नियत तिथि पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 8ग पर सुना जा चुका है।

**निस्तारण प्रार्थनापत्र 8ग**

1– प्रार्थनापत्र 8ग मय शपथपत्र 9ग प्रस्तुत कर वादिनी ने कथन किया है कि 8ग के अनुसार वादिया के दिवंगत पिता कर्नल रंगी लाल यादव (सेवानिवृत्त) का दिनांक 15.06.2023 को देहांत हो गया, जबकि वादिया के दिवगंत पिता ने अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में कोई वसीयत नहीं छोड़ी और उनका स्वर्गवास हो गया। वादिया अपने पिता की जैविक पुत्री है जो नियमानुसार अपने पिता की सम्पत्ति में से 1/3 हिस्से की एकमात्र उत्तराधिकारी है। वादिया का अपने मृतक पिता की सम्पत्ति में बराबर हिस्सा है, जिसको वे अपने उत्तराधिकारी को बिना वसीयत किये स्वर्गवास हो गए। इस प्रकार वादिया के पिता अपनी मृत्यु के पहले किसी भी अपनी अचल और चल सम्पत्ति सौंपे बिना या वसीयत किए बिना इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने किसी भी अन्य दस्तावेज के माध्यम से विशिष्ट कानूनी उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया है। प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य है कि वादिया के पिता स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव सेवानिवृत्त) का विवाह स्व0 श्रीमती सावित्री यादव से हिन्दू रीति–रिवाजों से हुआ। शादी के बाद उनके पुत्र व पुत्रियां शकुंतला यादव, शाशि यादव व स्व0 रजनी यादव व एक पुत्र स्व0 पायलट अफसर प्रवीण कुमार यादव हैं। स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव (सेवानिवृत्त) द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान स्वयं के अर्जित धन से विभिन्न चल और अचल सम्पत्तियां खरीदी। उनके द्वारा अपने स्वयं के धन से अर्जित सम्पत्ति के अलावा आगरा के पास अपने गांव महुआ में एक घर और जमीन व अन्य के भी एकमात्र और विशेष स्वामी रहे थे। वे सम्पत्तियां जो स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव (सेवानिवृत्त) के स्वामित्व में थी उक्त सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

है–अचल सम्पत्तियां–1–सम्पत्ति आईडी सं0 43/2/17/1 माप 251.95 वर्ग गज जो कि 125 फुटा रोड पर नीम राधा कृष्ण मंदिर, ताजगंज, आगरा के पास स्थित है। उक्त भूखंड वादिया की मां के नाम पर खरीदा था, जो उनके निधन के बाद वादिया के पिता को हस्तांरित हो गया। इसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रूपय है। 2–मान विहार कॉलोनी, शमशाबाद रोड़, आगरा में स्थित फ्लैट सं03, जोकि आगरा नगरपालिका के रिकॉर्ड में सम्पत्ति आईडी सं0 73/11/3 के साथ ब्लॉक नं0 18सी/3 के रूप में संदर्भित है। वर्तमान बाजार कीमत लगभग 45 लाख रूपये है। 3–ग्प्रम महुआ तहसील बाह, उ0प्र0 में स्थित भूमि जिसका खसरा नं0 365 माप 0.569 है0 है। 4–ग्राम महुआ तहसील–बाह, आगरा, उ0प्र0 के गांव में एक घर है। उक्त मकान व सम्पत्ति सं03 का सामूहिक बाजार मूल्य लगभग 45 लाख है। चल सम्पत्तियां–1–पंजाब नेशनल बैंक पीआरटीसी आगरा में दिवंगत कर्नल रंगी लाल यादव के नाम से पेंशन खाता सं0 4229000300142973 है जिसमें बैंक बैलेस 5,74,000/– जैसा कि दिनांक 16.08.2023 को पासबुक में दर्शाया गया है। 2–पंजाब नेशनल बैंक पीआरटीसी आगरा में स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव व प्रतिवादिया सं01 के संयुक्त नाम के तहत स्टॉक ट्रेडिंग से सम्बन्धित बचत खाता जिसका सेंविग अकाउंट नं0 4229000100091330 है, इस बैंक में बैंक बैलेंस 2,65405.88 जैसा कि दिनांक 16.08.2023 को पासबुक में दर्शाया गया है। 3–स्व0 आरएल यादव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता, बैंक खाता सं0 10516937578, होटल स्वागतख 29, राजपुर चुंगी, हरि नगर, आगरा में जिसमें 17717.53 रूपये बैंक बैंलेस है। जैसा कि 01.05. 2020 को पासबुक में दर्शाया गया है। 4–शेयर/स्टॉक एसएचसीआईएल खाता सं0 19904044 जो कि स्व0 रंगी लाल यादव और प्रतिवादिया सं01 के नाम पर है, जिसका पोर्टफोलियो मूल्य रू0 1,68,81,361.81 जैसा कि दिनांक 30.09.2021 को एनएसडीएल स्टेटमेंट में दर्शाया गया है। जिसमें संयुक्त रूप से रखे गये 2 म्यूचुअल फंड फोलियो भी शामिल हैं, यह खाता 6, अवागढ़ हाउस, एमजी रोड़, सिविल लाइन्स, आगरा स्थित एसएचसीआईएल शाखा में है। 5–एलआईसी पॉलिसी क्रमांक 261229933 स्व0 रंगी लाल यादव के नाम से क्रम 3 में उल्लिखित एसबीआई खाते से जुड़ी है। 6–स्व0 रंगी लाल यादव के एकमात्र नाम पर म्यूचुअल फंड मूल्य 15,09,079.52 रूपये दिनांक 30. 09.2021 की एनएसडीएल स्टेटमेंट के अनुसार। 7–इनके अलावा स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव के पेंशन खाता, शेयर संबंधी खाते और एलआईसी पॉलिसी से संबंधित खाते जैसा कि क्रमांक 1, 2 व 3 में उल्लिखित से बनाए गए फिक्स्ड डिपॉजिट और खरीदे गये शेयर/म्यूचुअल फण्ड। इस प्रकार वादिया के पिता वर्ष 1995 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी पत्नी के साथ आगरा में अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने लगे और वहीं बस गए। वादिया के पिता, अक्टूबर 2006

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

में अपनी पत्नी के निधन तक आगरा में ही स्थायी रूप से निवास करते रहे। पत्नी के निधन के बाद और अपनी चिकित्सीय बीमारियों के कारण वादिया के पिता, वादिया व प्रतिवादिया सं01 से जहां वादिया व प्रतिवादिया सं01 के पतियों की पोस्टिंग रही थी वहां अलग–अलग स्थानों पर मिलने और रहने गये। समय बीतने के साथ–साथ वादिया के पिता को जब कई तरह की बीमारियां जैसे Disorientation, transient illusion, dementia, Night/Sleep walking आदि हो गयी तो वादिया व प्रतिवादिया सं01 ने अपने बीमार पिता व देखरेख सेवा हेतु उनसे लगातार मिलने और उनके साथ रहने का प्रयास किया। इसके बाद दिनांक 03.10.2020 को वादिया के पिता को आगरा के मिलिट्री अस्पताल में कोविड–19 के कारण भर्ती कराया गया। उनकी देखरेख के दौरान वादिया, उसके पति, प्रतिवादिया सं01 व उसके पति को भी कोविड–19 हो गया था। जिसके इलाज के लिए वे भी सेना हस्पताल और सिविल हस्पताल में भर्ती रहे। वादिया के पिता को लगभग 7 महीने के बाद दिनांक 22.04.2021 को सैन्य अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। तत्पश्चात पार्किंसंस व अन्य गंभीरता के कारण आगरा मे बिस्तर पर ही रहे। दिनांक 10.06.2023 को राम तेज अस्पताल, आगरा में भर्ती होने के बाद दिनांक 15.06.2023 को स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के समय तक उन्होंने अपने किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं किया। वादिया अपने पिता की अचल व चल सम्पत्ति में अपने 1/3 हिस्से की कानूनन हकदार है। वादिया को यह धीरे–धीरे पता चला कि प्रतिवादिया नं01 ने वादिया के पिता के पेंशन खाते में नामांकित व्यक्ति नॉमिनी के रूप में अपना जोड़ लिया। इसके अलावा प्रतिवादिया सं01 चालाकी से दुर्भावनापूर्वक वादिया के पिता के बैंक लॉकर की भी संयुक्त धारक बन गयी व वादिया के पिता के शेयर/स्टॉक खाता सं0 19904044 और इससे सम्बन्धित पी0एन0बी0 आगरा में खाता सं0 4229000100091330 में भी संयुक्त धारक बन गयी थी। प्रतिवादिया सं01 व उसके पति ने वादिया के पिता के बैंक खातों की इंटरनेट बैंकिग पर भी नियंत्रण कर लिया और प्रतिवादिया सं01 ने अपने मृत पिता के पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 4229000300142973 और खाता सं0 4229000100091330 तथा भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 10516937578 में जमा पूंजी से पिता की बीमारी के दौरान उनकी बिना सहमति और जानकारी के शेयर म्यूचअल फण्ड खरीदे, फिक्स डिपॉजिट बनाई और भारी मात्रा में पैसा पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 4229000100091330 में स्थानांतरित किया, जिसमें वह खुद एक संयुक्त खाताधारक थी और पिता की मृत्यु के बाद एकल खाताधारक बन गयी है। इसी प्रकार पिता के निधन के बाद प्रतिवादिया सं01 ने अपने पति के साथ मिलकर वादिया के पिता के एसएचसीएल/डीमैट खाता सं0 19904044 से पिता के सभी निजी म्यूचुअल के साथ–साथ शेयरों/स्टॉक को भी, वादिया की सहमति या जानकारी के बिना,

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

व्यक्तिगत रूप से अपने निजी एसएचसीआईएल/डीमैट खाता सं0 14840806 में स्थानांतरित कर लिया है, और इस तरह के हस्तांरण से प्राप्त आय प्रतिवादिया सं01 द्वारा अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में प्राप्त की जा रही है जिसका खाता सं0 4229000100150057 पंजाब नेशनल बैंक पीआरटीसी आगरा है। वादिया के पिता के सभी बैंक खातों से प्रतिवादिया सं01 ने अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में पैसे स्थानांतरित करते हुए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की है, जिसके संबंध में सूची प्रस्तुत की गयी है। वादिया को अपने दिवंगत पिता की चल सम्पत्ति के उपरोक्त अवैध हस्तांरण के बारे में पता चलने पर, वादिया ने प्रतिवादिया सं01 से अपने पिता की सभी अचल और चल सम्पत्तियों के विभाजन की मांग की है, परन्तु प्रतिवादिया सं02 ने वादिया के पिता की अचल और चल सम्पत्ति का बंटवारा करने से साफ इनकार कर दिया। इससे व्यथित होकर वादिया को पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ईमेल के साथ–साथ अलग–अलग कानूनी नोटिस भेजने के लिए बाध्य होना पड़ा। उक्त कानूनी नोटिस के जवाब स्टॉक होल्ड़िग कॉरपोरेशन ऑफ इड़िया ने अपने जवाब दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से वादिया के पिता के डीमैट/एसएचसीआईएल खाते से प्रतिवादिया सं01 के व्यक्तिगत डीमैट/एसएचसीआईएल खाते में वादिया के पिता के शेयरों/स्टॉक के कथित अवैध हस्तांतरण को स्वीकार किया है। प्रतिवादिया सं01 व उनके पति प्रभावशाली किस्म के व्यक्ति हैं और वादिया के पिता की चल/अचल सम्पत्ति, वादिया की सहमति या जानकारी के बिना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दिनांक 27.08.2023 को जब वादिया अपने पति के साथ आगरा स्थित घर में बैठी थी तो दो अज्ञात व्यक्ति आए जिन्होंने कर्नल विजय कुमार यादव के बारे में पूछताछ की। उनके द्वारा बताया गया कि वे रियल एस्टेट एजेंट हैं और कर्नल विजय कुमार यादव और उनकी पत्नी (प्रतिवादिया सं01) ने बताया था कि वे आगरा के घर और ताजगंज, आगरा के एक प्लॉट के मालिक हैं, जिनको वे शीघ्र बिक्री करना चाहते हैं। वादिया ने एजेंटों को बताया कि वह दोनों संपत्तियों की मालिक खुद है वह कभी भी घर या प्लॉट पर दोबारा न आये। उक्त घटना से व्यथित होकर वादिया को दिनांक 27.08.2023 को थाना सदर बाजार, आगरा में शिकायत दर्ज करने को बाध्य होना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा अपनी कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगायी। उसे पता चला कि प्रतिवादिया सं01 व उसका पति अचल सम्पत्ति को झूठी घोषणा के आधार पर बेचने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं, जबकि वे उपरोक्त सम्पत्ति के मालिक हैं ही नहीं। प्रतिवादिया सं01 व उसके पति ने धोखे से कोरे कागजों पर उद्देश्य का खुलासा किये बिना वादिया के पिता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान प्राप्त किये हुए जब उनकी मानसिक हालत बहुत खराब थी जिसका वे अनुचित उपयोग कर रहे हैं। वादिया को पिता की सम्पत्ति को

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

अतिक्रमण/अवैध कब्जा या तीसरे पक्ष के हस्तांनतरण का डर है। जो कि मामलों को और अधिक जटिल बना दे और वादिया को उनके हक से वंचित कर दे। इससे व्यथित होकर वादिया को अपने पिता की सम्पत्ति में अपने उचित और वैध हिस्से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दिनांक 30.08.2023 को थाना सदर बाजार में एक और शिकायत मजबूरन दर्ज करायी। वादिया स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव की जैविक बेटी और प्रथम श्रेणी की कानूनी उत्तराधिकारिणी है और अपने पिता के चल–अचल सम्पत्ति में 1/3 हिस्से की सभी खातों और सभी सम्मत्तियों की सही जानकारी की हकदार है। प्रतिवादिया सं01 ने वादिया के दिवंगत पिता के बैंक खातों से अवैध रूप से धन हस्तांरित किया है। वह उसे उसके वैध हिस्से से वंचित कर देंगे। सुविधा का संतुलन वादिया के पक्ष में है और यदि वादिया को राहत नहीं दी गयी तो वादिया को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वादिया के पिता की सभी चल और अचल सम्पत्तियों के संबंध में वादिया के पक्ष में और प्रतिवादियों और उनके संबंधित कानूनी उत्तराधिकारियों एजेंटों के नामांकितों के विरूद्ध असाइनमेंट के माध्यम से बेचने, हस्तांरित करने या तीसरे पक्ष के अधिकार/हित बनाने से अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने तथा आंशिक राहत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी।

2– वादिया की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची 11ग से कागज सं0 1 वादिया के आधार कार्ड की छायाप्रति, कागज सं0 2 ता 13 बैनामा दिनांकित 08.12.2003 की छायाप्रति, कागज सं0 14 ता 52 बैनामा दिनांकित 14.07.2015, कागज सं0 53 ता 54 राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश रंगीलाल के किसान बही की छायाप्रति, कागज सं0 55 ता 143 रंगीलाल यादव के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं0 4229000300142973 की पासबुक की दिनांक 25.08.2019 से 08.08.2023 तक की छायाप्रति, कागज सं0 144 ता 177 रंगीलाल यादव के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं0 422900010091330 की पासबुक की दिनांक 22.06.2020 से 14.08.2023 तक की छायाप्रति, कागज सं0 178 ता 179 रंगीलाल यादव के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता सं0 10516937578 की पासबुक की छायाप्रति, कागज सं0 180 ता 181 रंगीलाल यादव की एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 26122993 की छायाप्रति, कागज सं0 182 ता 190 रंगीलाल यादव की एन0एस0डी0एल0 पॉलिसी की छायाप्रति, कागज सं0 191 ता 192 एस0एच0ओ0 सदर बाजार, आगरा को दिनांक 27.08.2023 को शशी यादव द्वारा मेल की गयी एन0सी0आर0 की छायाप्रति, कागज सं0 193 ता 195 एस0एच0ओ0 सदर बाजार, आगरा को दिनांक 30.08.2023 को शशी यादव द्वारा मेल की गयी एन0सी0आर0 की छायाप्रति, कागज सं0 196 ता 200 पंजाब नेशनल बैंक को लीगल नोटिस दिनांकित 18.08.2023 की छायाप्रति, कागज सं0 201 ता 204 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को लीगल नोटिस दिनांकित 22.08.2023 की छायाप्रति, कागज सं0 205 ता

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com



215 स्टोक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, आगरा को लीगल नोटिस दिनांकित 22.08.2023 की छायाप्रति, कागज सं0 216 ता 217 स्टोक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, आगरा द्वारा रिप्लाई दिनांकित 13.09.2023 की छायाप्रति, कागज सं0 218 ता 220 स्टोक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, आगरा को ईमेल दिनांकित 15.09.2023 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

3– प्रतिवादिया सं01 की ओर से आपत्ति कागज सं0 25ग मय शपथपत्र 26ग प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र के अधिकांश पैरा में किये गये कथनों को असत्य होना तथा स्वीकार न होने का कथन किया गया है। प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। सत्यता यह है कि वादिनी श्रीमती शशी यादव व प्रतिवादिनी श्रीमती शकुन्तला यादव सगी बहिनें हैं। वादिनी व प्रतिवादिनी की तीसरी सगी बहन श्रीमती रजनी यादव के पुत्र अधिराज यादव प्रतिवादिया सं02 हैं। वादिया व प्रतिवादिया सं01 के पिता स्व0 कर्नल रंगीलाल यादव सेवानिवृत्त थे। रंगीलाल यादव के नाम से विभिन्न चल व अचल सम्पत्तियां थी जिनका विवरण वादपत्र में दिया है। रंगीलाल यादव वर्ष 1995 में सेवानिवृत्त हुए थे व वर्ष 2006 में वादिनी एवं प्रतिवादिनी की मां का स्वर्गवास हो गया। कर्नल रंगीलाल यादव का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2023 को आगरा में हो गया। रंगीलाल यादव कई वर्षों से पार्किसन्स रोग से पीड़ित थे जिसके कारण उनके हाथों में कम्पन्न रहता था। रंगीलाल यादव की देखरेख प्रतिवादिनी सं01 जो कि सबसे बड़ी पुत्री है, अपने पति के सहयोग से करती रहती थी जिसके लिए वह समय–समय पर अपने पिता के साथ भी रहती थी अथवा पिता उनके साथ रहते थे। प्रतिवादिनी सं01 अपने पिता की विश्वासपात्र थी इसका एक कारण यह भी था कि रजनी यादव जो वादिनी की छोटी बहन के साथ देवरानी भी थी, की मृत्यु आग लगने के कारण अपनी ससुराल में हुई थी। इस प्रकरण में वादिनी ने अपने पिता का साथ न देकर अपने ससुरालीजनों का साथा दिया था। जिससे क्षुब्ध होकर कर्नल रंगीलाल यादव अपने निजी कार्यो में प्रतिवादिनी सं01 का सहयोग लेते थे। प्रतिवादिनी को रंगीलाल यादव द्वारा अपने बैंक खातों में, शेयर में सह खातेदार व नोमिनी नामित किया। उनके स्वर्गवास के समय तक उनकी सहमति से बैंक खातों व शेयर सर्टिफिकेट आदि का संचालन भी किया। वादिनी ने रंगीलाल यादव के खातों का संचालन आवश्यकता पड़ने किया इस तथ्य को न्यायालय से छिपाया गया है। वादिनी द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पोषणीय न होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अनुतोष एव एवं बी दोनों में ही चल सम्पत्ति एवं शेयर आदि के बारे में निषेधाज्ञा मांगी गयी है जो प्रदान किये जाने योग्य नहीं है। जहां तक स्व0 रंगीलाल यादव द्वारा छोड़ी गयी चल व अचल सम्पत्तियों में पक्षकारों के हिस्से का प्रश्न है, प्रतिवादिनी सं01 को यह स्वीकार है कि उसके पिता के स्वर्गवास के समय जो चल व अचल सम्पत्ति उनके

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

नाम से थी उसमें वादिनी का 1/3 हिस्सा है। शेयर व स्टॉक का अन्तरण सम्बन्धित कम्पनी के नियमों के अनुसार मान्य होगा। वादिनी व प्रतिवादिनी सं01 के विरूद्ध यह आरोप लगाया है कि प्रतिवादिनी सं01 व पिता के द्वारा छोड़ी गयी अचल सम्पत्ति फ्लैट नं03 ब्लॉक सं01 18सी/3 मानव बिहार कॉलोनी, शमशबाद रोड़, आगरा के एकतरफा बेचने का प्रयास किया जा रहा है जो नितांत असत्य है। उपरोक्त तथ्यों व विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष में नहीं है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद महज प्रतिवादिनी को परेशान करने के उद्देश्य से ईर्ष्या से दाखिल किया है। वादिनी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया वाद नहीं है। विधि व्यवस्थाओं के अनुसार किसी भी सहदायिकी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आज्ञप्ति पारित नहीं की जा सकती है।

4— पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मै0 बेस्ट सेलर्स रिटेल प्रा0लि0 बनाम मै0 आदित्य बिरला न्यूगो लि0 सिविल अपील सं0 4313—4314 सन् 2012 निर्णीत दिनांकित 08.05.2012** में यह सिद्धांत पारित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने के लिए आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के साथ—साथ तीन बिन्दुओं को साबित किया जाना आवश्यक होता है जो निम्नलिखित हैं—

(1) प्रथम दृष्टया मामला

(2) सुविधा का संतुलन

(3) अपूर्णनीय क्षति

6— जहां तक प्रथम दृष्टया मामले का संबंध है वादिया द्वारा इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादिया के दिवंगत पिता कर्नल रंगी लाल यादव (सेवानिवृत्त) का दिनांक 15.06.2023 को देहांत हो गया, जबकि वादिया के दिवगंत पिता ने अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में कोई वसीयत नहीं छोड़ी और उनका स्वर्गवास हो गया। वादिया अपने पिता की जैविक पुत्री है जो नियमानुसार अपने पिता की सम्पत्ति में से 1/3 हिस्से की एकमात्र उत्तराधिकारी है। उन्होंने किसी भी अन्य दस्तावेज के माध्यम से विशिष्ट कानूनी उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया है। वादिया के पिता स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव सेवानिवृत्त) का विवाह स्व0 श्रीमती सावित्री यादव से हिन्दू रीति—रिवाजों से हुआ। शादी के बाद उनके पुत्र व पुत्रियां शकुंतला यादव, शाशि यादव व स्व0 रजनी यादव व एक पुत्र स्व0 पायलट अफसर प्रवीण कुमार यादव हैं। स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव (सेवानिवृत्त) द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान स्वयं के अर्जित धन से विभिन्न चल और अचल सम्पत्तियां खरीदी। उनके द्वारा अपने स्वयं के धन से अर्जित सम्पत्ति के अलावा आगरा के पास

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

अपने गांव महुआ में एक घर और जमीन व अन्य के भी एकमात्र और विशेष स्वामी रहे थे। वे सम्पत्तियां जो स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव (सेवानिवृत्त) के स्वामित्व में थी उक्त सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है–अचल सम्पत्तियां–1–सम्पत्ति आईडी सं0 43/2/17/1 माप 251.95 वर्ग गज जो कि 125 फुटा रोड पर नीम राधा कृष्ण मंदिर, ताजगंज, आगरा के पास स्थित है। उक्त भूखंड वादिया की मां के नाम पर खरीदा था, जो उनके निधन के बाद वादिया के पिता को हस्तांरित हो गया। इसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रूपय है। 2–मान विहार कॉलोनी, शमशाबाद रोड़, आगरा में स्थित फ्लैट सं03, जोकि आगरा नगरपालिका के रिकॉर्ड में सम्पत्ति आईडी सं0 73/11/3 के साथ ब्लॉक नं0 18सी/3 के रूप में संदर्भित है। वर्तमान बाजार कीमत लगभग 45 लाख रूपये है। 3–ग्प्रम महुआ तहसील बाह, उ0प्र0 में स्थित भूमि जिसका खसरा नं0 365 माप 0.569 है0 है। 4–ग्राम महुआ तहसील–बाह, आगरा, उ0प्र0 के गांव में एक घर है। उक्त मकान व सम्पत्ति सं03 का सामूहिक बाजार मूल्य लगभग 45 लाख है। चल सम्पत्तियां–1–पंजाब नेशनल बैंक पीआरटीसी आगरा में दिवंगत कर्नल रंगी लाल यादव के नाम से पेंशन खाता सं0 4229000300142973 है जिसमें बैंक बैलेस 5,74,000/– जैसा कि दिनांक 16.08.2023 को पासबुक में दर्शाया गया है। 2–पंजाब नेशनल बैंक पीआरटीसी आगरा में स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव व प्रतिवादिया सं01 के संयुक्त नाम के तहत स्टॉक ट्रेडिंग से सम्बन्धित बचत खाता जिसका सेंविग अकाउंट नं0 4229000100091330 है, इस बैंक में बैंक बैलेंस 2,65405. 88 जैसा कि दिनांक 16.08.2023 को पासबुक में दर्शाया गया है। 3–स्व0 आरएल यादव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता, बैंक खाता सं0 10516937578, होटल स्वागतख 29, राजपुर चुंगी, हरि नगर, आगरा में जिसमें 17717.53 रूपये बैंक बैंलेस है। जैसा कि 01.05.2020 को पासबुक में दर्शाया गया है। 4–शेयर/स्टॉक एसएचसीआईएल खाता सं0 19904044 जो कि स्व0 रंगी लाल यादव और प्रतिवादिया सं01 के नाम पर है, जिसका पोर्टफोलियो मूल्य रू0 1,68,81,361.81 जैसा कि दिनांक 30.09.2021 को एनएसडीएल स्टेटमेंट में दर्शाया गया है। जिसमें संयुक्त रूप से रखे गये 2 म्यूचुअल फंड फोलियो भी शामिल हैं, यह खाता 6, अवागढ़ हाउस, एमजी रोड़, सिविल लाइन्स, आगरा स्थित एसएचसीआईएल शाखा में है। 5–एलआईसी पॉलिसी कमांक 261229933 स्व0 रंगी लाल यादव के नाम से कम 3 में उल्लिखित एसबीआई खाते से जुड़ी है। 6–स्व0 रंगी लाल यादव के एकमात्र नाम पर म्यूचुअल फंड मूल्य 15,09,079.52 रूपये दिनांक 30.09.2021 की एनएसडीएल स्टेटमेंट के अनुसार। 7–इनके अलावा स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव के पेंशन खाता, शेयर संबंधी खाते और एलआईसी पॉलिसी से संबंधित खाते जैसा कि कमांक 1, 2 व 3 में उल्लिखित से बनाए गए फिक्स्ड डिपॉजिट और खरीदे गये शेयर/म्यूचुअल फण्ड। इस प्रकार

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

वादिया के पिता वर्ष 1995 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी पत्नी के साथ आगरा में अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने लगे और वहीं बस गए। वादिया के पिता, अक्टूबर 2006 में अपनी पत्नी के निधन तक आगरा में ही स्थायी रूप से निवास करते रहे। पत्नी के निधन के बाद और अपनी चिकित्सीय बीमारियों के कारण वादिया के पिता, वादिया व प्रतिवादिया सं01 से जहां वादिया व प्रतिवादिया सं01 के पतियों की पोस्टिंग रही थी वहां अलग–अलग स्थानों पर मिलने और रहने गये। समय बीतने के साथ–साथ वादिया के पिता को जब कई तरह की बीमारियां जैसे Disorientation, transient illusion, dementia, Night/Sleep walking आदि हो गयी तो वादिया व प्रतिवादिया सं01 ने अपने बीमार पिता व देखरेख सेवा हेतु उनसे लगातार मिलने और उनके साथ रहने का प्रयास किया। इसके बाद दिनांक 03.10. 2020 को वादिया के पिता को आगरा के मिलिट्री अस्पताल में कोविड–19 के कारण भर्ती कराया गया। वादिया के पिता को लगभग 7 महीने के बाद दिनांक 22.04.2021 को सैन्य अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। तत्पश्चात पार्किंसंस व अन्य गंभीरता के कारण आगरा मे बिस्तर पर ही रहे। दिनांक 10.06.2023 को राम तेज अस्पताल, आगरा में भर्ती होने के बाद दिनांक 15.06.2023 को स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के समय तक उन्होंने अपने किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की। वादिया अपने पिता की अचल व चल सम्पत्ति में अपने 1/3 हिस्से की कानूनन हकदार है। वादिया को यह धीरे–धीरे पता चला कि प्रतिवादिया नं01 ने वादिया के पिता के पेंशन खाते में नामांकित व्यक्ति नॉमिनी के रूप में अपना जोड़ लिया। इसके अलावा प्रतिवादिया सं01 चालाकी से दुर्भावनापूर्वक वादिया के पिता के बैंक लॉकर की भी संयुक्त धारक बन गयी व वादिया के पिता के शेयर/स्टॉक खाता सं0 19904044 और इससे सम्बन्धित पी0एन0बी0 आगरा में खाता सं0 4229000100091330 में भी संयुक्त धारक बन गयी थी। प्रतिवादिया सं01 व उसके पति ने वादिया के पिता के बैंक खातों की इंटरनेट बैंकिग पर भी नियंत्रण कर लिया और प्रतिवादिया सं01 ने अपने मृत पिता के पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 4229000300142973 और खाता सं0 4229000100091330 तथा भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 10516937578 में जमा पूंजी से पिता की बीमारी के दौरान उनकी बिना सहमति और जानकारी के शेयर म्यूचअल फण्ड खरीदे, फिक्स डिपॉजिट बनाई और भारी मात्रा में पैसा पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 4229000100091330 में स्थानांतरित किया, जिसमें वह खुद एक संयुक्त खाताधारक थी और पिता की मृत्यु के बाद एकल खाताधारक बन गयी है। इसी प्रकार पिता के निधन के बाद प्रतिवादिया सं01 ने अपने पति के साथ मिलकर वादिया के पिता के एसएचसीएल/डीमैट खाता सं0 19904044 से पिता के सभी निजी म्यूचुअल के साथ–साथ शेयरों/स्टॉक को भी, वादिया की

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

सहमति या जानकारी के बिना, व्यक्तिगत रूप से अपने निजी एसएचसीआईएल/डीमैट खाता सं0 14840806 में स्थानांतरित कर लिया है, और इस तरह के हस्तातंरण से प्राप्त आय प्रतिवादिया सं01 द्वारा अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में प्राप्त की जा रही है जिसका खाता सं0 4229000100150057 पंजाब नेशनल बैंक पीआरटीसी आगरा है। वादिया के पिता के सभी बैंक खातों से प्रतिवादिया सं01 ने अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में पैसे स्थानांतरित करते हुए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की है जिसकी लिस्ट प्रस्तुत की गयी है। वादिया को अपने दिवंगत पिता की चल सम्पत्ति के उपरोक्त अवैध हस्तांरण के बारे में पता चलने पर, वादिया ने प्रतिवादिया सं01 से अपने पिता की सभी अचल और चल सम्पत्तियों के विभाजन की मांग की है, परन्तु प्रतिवादिया सं02 ने वादिया के पिता की अचल और चल सम्पत्ति का बंटवारा करने से साफ इनकार कर दिया। इससे व्यथित होकर वादिया को पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ईमेल के साथ–साथ अलग–अलग कानूनी नोटिस भेजने के लिए बाध्य होना पड़ा। उक्त कानूनी नोटिस के जवाब स्टॉक होल्ड़िग कॉरपोरेशन ऑफ इड़िया ने अपने जवाब दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से वादिया के पिता के डीमैट/एसएचसीआईएल खाते से प्रतिवादिया सं01 के व्यक्तिगत डीमैट/एसएचसीआईएल खाते में वादिया के पिता के शेयरों/स्टॉक के कथित अवैध हस्तांतरण को स्वीकार किया है। प्रतिवादिया सं01 व उनके पति प्रभावशाली किस्म के व्यक्ति हैं और वादिया के पिता की चल/अचल सम्पत्ति, वादिया की सहमति या जानकारी के बिना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दिनांक 27.08.2023 को जब वादिया अपने पति के साथ आगरा स्थित घर में बैठी थी तो दो अज्ञात व्यक्ति आए जिन्होंने कर्नल विजय कुमार यादव के बारे में पूछताछ की। उनके द्वारा बताया गया कि वे रियल एस्टेट एजेंट हैं और कर्नल विजय कुमार यादव और उनकी पत्नी (प्रतिवादिया सं01) ने बताया था कि वे आगरा के घर और ताजगंज, आगरा के एक प्लॉट के मालिक हैं, जिनको वे शीघ्र बिक्री करना चाहते हैं। वादिया ने एजेंटों को बताया कि वह दोनों संपत्तियों की मालिक खुद है वह कभी भी घर या प्लॉट पर दोबारा न आये। उक्त घटना से व्यथित होकर वादिया को दिनांक 27.08.2023 को थाना सदर बाजार, आगरा में शिकायत दर्ज करने को बाध्य होना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा अपनी कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगायी। उसे पता चला कि प्रतिवादिया सं01 व उसका पति अचल सम्पत्ति को झूठी घोषणा के आधार पर बेचने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं, जबकि वे उपरोक्त सम्पत्ति के मालिक हैं ही नहीं। प्रतिवादिया सं01 व उसके पति ने धोखे से कोरे कागजों पर उद्देश्य का खुलासा किये बिना वादिया के पिता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान प्राप्त किये हुए जब उनकी मानसिक हालत बहुत खराब थी जिसका वे अनुचित उपयोग कर रहे हैं। वादिया को

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

पिता की सम्पत्ति को अतिक्रमण/अवैध कब्जा या तीसरे पक्ष के हस्तांनतरण का डर है। जो कि मामलों को और अधिक जटिल बना दे और वादिया को उनके हक से वंचित कर दे। इससे व्यथित होकर वादिया को अपने पिता की सम्पत्ति में अपने उचित और वैध हिस्से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दिनांक 30.08.2023 को थाना सदर बाजार में एक और शिकायत मजबूरन दर्ज करायी। वादिया स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव की जैविक बेटी और प्रथम श्रेणी की कानूनी उत्तराधिकारिणी है और अपने पिता के चल–अचल सम्पत्ति में 1/3 हिस्से की सभी खातों और सभी सम्मत्तियों की सही जानकारी की हकदार है। प्रतिवादिया सं01 ने वादिया के दिवंगत पिता के बैंक खातों से अवैध रूप से धन हस्तांरित किया है। वह उसे उसके वैध हिस्से से वंचित कर देंगे। सुविधा का संतुलन वादिया के पक्ष में है और यदि वादिया को राहत नहीं दी गयी तो वादिया को अपूरणीय क्षति होगी।

7— प्रतिवादिया सं01 की ओर आपत्ति में संक्षिप्त में यह कहा गया है कि प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। सत्यता यह है कि वादिनी श्रीमती शशी यादव व प्रतिवादिनी श्रीमती शकुन्तला यादव सगी बहिनें हैं। वादिनी व प्रतिवादिनी की तीसरी सगी बहन श्रीमती रजनी यादव के पुत्र अधिराज यादव प्रतिवादिया सं02 हैं। वादिया व प्रतिवादिया सं01 के पिता स्व0 कर्नल रंगीलाल यादव सेवानिवृत्त थे। रंगीलाल यादव के नाम से विभिन्न चल व अचल सम्पत्तियां थी जिनका विवरण वादपत्र में दिया है। रंगीलाल यादव वर्ष 1995 में सेवानिवृत्त हुए थे व वर्ष 2006 में वादिनी एवं प्रतिवादिनी की मां का स्वर्गवास हो गया। कर्नल रंगीलाल यादव का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2023 को आगरा में हो गया। रंगीलाल यादव कई वर्षों से पार्किसन्स रोग से पीड़ित थे जिसके कारण उनके हाथों में कम्पन्न रहता था। रंगीलाल यादव की देखरेख प्रतिवादिनी सं01 जो कि सबसे बड़ी पुत्री है, अपने पति के सहयोग से करती रहती थी जिसके लिए वह समय–समय पर अपने पिता के साथ भी रहती थी अथवा पिता उनके साथ रहते थे। प्रतिवादिनी सं01 अपने पिता की विश्वासपात्र थी इसका एक कारण यह भी था कि रजनी यादव जो वादिनी की छोटी बहन के साथ देवरानी भी थी, की मृत्यु आग लगने के कारण अपनी ससुराल में हुई थी। इस प्रकरण में वादिनी ने अपने पिता का साथ न देकर अपने ससुरालीजनों का साथा दिया था। जिससे क्षुब्ध होकर कर्नल रंगीलाल यादव अपने निजी कार्यो में प्रतिवादिनी सं01 का सहयोग लेते थे। प्रतिवादिनी को रंगीलाल यादव द्वारा अपने बैंक खातों में, शेयर में सह खातेदार व नोमिनी नामित किया। उनके स्वर्गवास के समय तक उनकी सहमति से बैंक खातों व शेयर सर्टिफिकेट आदि का संचालन भी किया। वादिनी ने रंगीलाल यादव के खातों का संचालन आवश्यकता पड़ने किया इस तथ्य को न्यायालय से छिपाया गया है। वादिनी द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पोषणीय न होने के

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अनुतोष एव एवं बी दोनों में ही चल सम्पत्ति एवं शेयर आदि के बारे में निषेधाज्ञा मांगी गयी है जो प्रदान किये जाने योग्य नहीं है। जहां तक स्व0 रंगीलाल यादव द्वारा छोड़ी गयी चल व अचल सम्पत्तियों में पक्षकारों के हिस्से का प्रश्न है, प्रतिवादिनी सं01 को यह स्वीकार है कि उसके पिता के स्वर्गवास के समय जो चल व अचल सम्पत्ति उनके नाम से थी उसमें वादिनी का 1/3 हिस्सा है। शेयर व स्टॉक का अन्तरण सम्बन्धित कम्पनी के नियमों के अनुसार मान्य होगा। वादिनी व प्रतिवादिनी सं01 के विरूद्ध यह आरोप लगाया है कि प्रतिवादिनी सं01 व पिता के द्वारा छोड़ी गयी अचल सम्पत्ति फ्लैट नं03 ब्लॉक सं01 18सी/3 मानव बिहार कॉलोनी, शमशबाद रोड़, आगरा के एकतरफा बेचने का प्रयास किया जा रहा है जो नितांत असत्य है। उपरोक्त तथ्यों व विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष में नहीं है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद महज प्रतिवादिनी को परेशान करने के उद्देश्य से ईर्ष्या से दाखिल किया है। वादिनी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया वाद नहीं है। विधि व्यवस्थाओं के अनुसार किसी भी सहदायिकी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आज्ञप्ति पारित नहीं की जा सकती है।

8— वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद बंटवारे हेतु लाया गया है। उसका यह कथन है कि उसके पिता कर्नल रंगी लाल यादव का देहांत दिनांक 15.06.2023 को देहान्त हो गया है। उनके द्वारा अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में कोई वसीयत नहीं छोड़ी गयी है। वादिया अपने पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति में 1/3 हिस्से की उत्तराधिकारिणी है। वादिया द्वारा अपने पिता की अचल व चल सम्पत्तियों का वर्णन किया गया है। अचल सम्पत्तियों में—

1— प्लॉट आईडी सं0 43/2/17/1 माप 251.95 वर्ग गज जो कि 125 फुटा रोड पर नीम राधा कृष्ण मंदिर, ताजगंज, आगरा के पास स्थित है। उक्त भूखंड वादिया की मां के नाम पर खरीदा गया था।

2— एक फ्लैट जो कि मान विहार कॉलोनी, शमशाबाद रोड़, आगरा में स्थित फ्लैट सं03।

3— ग्राम महुआ, तहसील बाह, आगरा में स्थित भूमि जिसका खसरा नं0 365 रकवा 0.569 है0 है।

4—ग्राम महुआ तहसील—बाह, आगरा के गांव में स्थित एक मकान।

चल सम्पत्तियां—1—पंजाब नेशनल बैंक पीआरटीसी आगरा में दिवंगत कर्नल रंगी लाल यादव के नाम से पेंशन खाता सं0 4229000300142973 है। 2—पंजाब नेशनल बैंक पीआरटीसी आगरा में स्व0 कर्नल रंगी लाल यादव व प्रतिवादिया सं01 के संयुक्त नाम के तहत स्टॉक ट्रेडिंग से सम्बन्धित बचत खाता जिसका सेंविग अकाउंट नं0 4229000100091330 है। 3—स्व0 आरएल यादव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक बचत

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

खाता, बैंक खाता सं0 10516937578, होटल स्वागत 29, राजपुर चुंगी, हरि नगर, आगरा 4–शेयर/स्टॉक स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 में खाता सं0 19904044 जो कि स्व0 रंगी लाल यादव और प्रतिवादिया सं01 के नाम है। 5–एलआईसी पॉलिसी क्रमांक 261229933 स्व0 रंगी लाल यादव के नाम से क्रम 3 में उल्लिखित एसबीआई खाते से जुड़ी है। जिसके संबंध में वादिया का कथन है कि प्रतिवादिया सं02 सम्पत्ति का दुरूपयोग कर रही है तथा बदनीयती से स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के शेयर की संयुक्त खाता धारक बन गयी है तथा पेंशन खाते में नॉमिनी के रूप में अपना नाम जोड़ लिया है। प्रतिवादिया सं02 ने वादिया के पिता के बैंक खातों की इंटरनेट बैंकिग पर भी नियंत्रण कर लिया है। पंजाब नेशनल बैंक व एस0बी0आई के खाते जिसमें वादिया के पिता की बीमारी के दौरान उनकी सहमति के बिना म्यूचुअल फण्ड खरीदे तथा फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाये व पंजाब नेशनल बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित किया गया तथा म्यूचुअल फण्ड व शेयर स्टॉक तथा डीमैट अकाउंट को शेयर स्टॉक व म्यूचुअल फण्ड से वादिया की सहमति के बिना अपने डीमैट अकाउंट में स्थानांतरित करा लिया है तथा प्रतिवादिया सं01 द्वारा काफी हेरा–फेरी की गयी है।

9– वादिया के स्वयं के कथन के अनुसार उसके पिता कर्नल रंगी लाल यादव का पंजाब नेशनल बैंक में जो पेंशन खाता है जिसमें प्रतिवादिया सं01 को नॉमिनी बनाया गया है तथा पंजाब नेशनल बैंक पीआरटीसी खाते में प्रतिवादिया सं01 संयुक्त खाताधारक है तथा डीमैट अकांउट में भी प्रतिवादिया सं01 मृतक रंगी लाल यादव के साथ सह खाता धारक बनाई गयी है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त खाते में सह खाता धारक, मुख्यखाता धारक की अनुमति के बिना नहीं बनाया जा सकता है। संयुक्त खाते में सहखाताधारक को मूल खाता धारक के समान ही खाते के संचालन के अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रतिवादिया सं01 को संयुक्त खाता धारक मृतक रंगी लाल यादव द्वारा बनाया गया है। यह तथ्य कि रंगी लाल यादव द्वारा प्रतिवादिया सं01 को अपनी स्वतंत्र सहमति से संयुक्त खाता धारक बनाया गया है या नहीं यह साक्ष्य का विषय है। इस तथ्य का निस्तारण इस स्तर पर किया जाना सम्भव नहीं है। संयुक्त खाते के सहखाताधारक को खाता संचालन करने से रोका जाना विधिसंगत नहीं है। जहां तक वादिया का यह कथन कि प्रतिवादिया सं01 के द्वारा सहखाताधारक के रूप में पिता के एकाउट्स, डीमैट एकाउट्स व एस0बी0आई एकाउट्स से पैसे निकालकर हेरा–फेरी की गयी है तथा इस संबंध में वादिया द्वारा एक लिस्ट संलग्न की गयी है। इस संबंध में स्पष्ट है कि प्रतिवादिया सं01 द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही सहखाताधारक होने के नाते की गयी है। बैंक एकांउट्स व एल0आई0सी0 जिसमें बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के कोई भी व्यक्ति बैंकों के नियमानुसार खाते का

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

संचालन नहीं कर सकता तो उनके संबंध में भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। जहां तक स्थाई सम्पत्ति का संबंध है, स्थाई सम्पत्ति में वादिया व प्रतिवादियागण संयुक्त खाता धारक हैं इस तथ्य को स्वयं प्रतिवादिया सं01 द्वारा भी स्वीकार किया गया है। उसने स्वयं स्वीकार किया गया है कि वादिया का सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा है। जहां तक कृषि भूमि का संबंध है कृषि भूमि के बंटवारे का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है। इसलिए कृषि भूमि के संबंध में भी कोई अभिमत नहीं दिया जा सकता है। वादिया द्वारा स्थायी सम्पत्ति के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादिया सं01 उन सम्पत्तियों को बेच रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में विवादित सम्पत्तियों का वर्तमान बंटवारे का वाद लम्बित है यदि प्रतिवादिया बिना वादिया व अन्य प्रतिवादियागण की सहमति के बिना स्थायी सम्पत्ति का विक्रय करती है तो वह सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के लम्बित वाद के अधीन होगा। सहस्वामी स्थाई सम्पत्ति में बराबर का स्वामी होता है। स्थायी सम्पत्ति पर सभी सहखाताधारकों का कब्जा माना जाता है। स्थाई सम्पत्ति में कोई व्यक्ति अपने हिस्से का भाग बेचने के लिए स्वतंत्र होता है। ऐसी स्थिति में सहखाताधारक को निषेधित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

10— **सिविल प्रकिया संहिता की धारा 39(1)** अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने के लिए निम्न तथ्यों का साबित किया जाना बताती है—

1—वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा—जहां किसी वाद में शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि—

(क)वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संक्रांत करेगा या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा

(ख)प्रतिवादिया अपने लेनदारों को (कपट वंचित) करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है या आशय रखता है,

(ग) प्रतिवादिया वादिया को वाद में विवादाग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वादिया को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है,

वहां न्यायालय ऐसे कार्य को अवरूद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी व्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किये जाने, नुकसान पहुंचाये जाने, अन्य संक्रान्त किये जाने, विक्रय किये जाने, हटाये जाने या व्ययनित किये जाने से (अथवा वादिया को वाद में विवादाग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादिया को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से) रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG010135732023/truecopy/order-1.pdf

उस वाद का निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दिये जाएं।

11— वादिया का मामला उक्त धारा के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी स्थिति में वादिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनना पाया जाता है।

12— जहां तक सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का का प्रश्न है वादिया द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसको यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी गयी तो उसे क्या क्षति होगी। अपूर्णनीय क्षति को विधि में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जिसकी पूर्ति पैसों से नहीं की जा सकती हो। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो उसे कोई भी ऐसी क्षति नहीं होगी जिसकी पूर्ति पैसों से नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वादिया के पक्ष में न तो सुविधा का संतुलन है और न ही अपूर्णनीय क्षति है।

अतः उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 8ग निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थनापत्र 8ग निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु दिनांक 22.03.2024 को पेश हो।

ह0

**(रवि कान्त-III)**
अपर जिला जज, न्यायालय सं0—1,
आगरा।

Digitally signed by RAVI KANT
Date: 2024.03.05 16:29:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAG0101357_2023/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com